रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2001/फाल्गुन 23, 1922

No. 162] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2001/PHALGUNA 23, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

का. आ. 222(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 992(अ), 993(अ), 994 (अ), 995 (अ), 996 (अ), 997 (अ), 998 (अ), 999 (अ), 1000 (अ), 1001 (अ), 1002 (अ), 1003 (अ) और 1004 (अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरणों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है) का दो वर्ष की अवधि के लिए गठन किया था;

और राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है और वही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरणों के कृत्यों का पुनर्विलोकन करेगा।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरणों का उनकी संरचना या, सौंपे गए कार्यों में किसी परिवर्तन के बिना, जैसा कि ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए पुनर्गठन करती है।

[सं. जे.-17011/34/2000-आई ए-III]

वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 13th March, 2001

S.O. 222(E).—Whereas by the Notifications of the Government of India in the Ministry of Enviornment and Forests numbers S.O. 992 (E), 993 (E), 994 (E), 995 (E), 996 (E), 997 (E), 998 (E), 999 (E), 1000 (E), 1001 (E), 1002 (E), 1003 (E) and 1004 (E), dated the 26th November, 1998, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government had constituted the Coastal Zone Management Authorities of the Costal States/ Union Territories (hereinafter referred to as the said Authorities) for a period of two years;

And whereas, the National Coastal Zone Management Authority has been reconstituted and the same would review the functioning of the State/Union Territories Coastal Zone Management Authorities.

Now, therfore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby reconstitutes the State/ Union Territory Coastal Zone Management Authorities without any change in the composition or terms of Reference of the said Authorities as referred to in paragraph 1 above for a period of six months with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

[No. J-17011/34/2000-IA-III]

V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.